कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ़ (म.प्र)

क्रमांक / भण्डार / क्रय / 2018 / 3243-44 टीकमगढ दिनांक 31-12-18

सीमित निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ के जिला औषधि भण्डार गृह टीकमगढ से सामु.स्वास्थ्य केन्द्रो / प्राथ.स्वा.केन्द्रो तक औषधि / सामग्री के परिवहन हेतु एवं सामु.स्वा.केन्द्र स्तर से ग्राम स्तर तक मच्छरदानियों के परिवहन हेतु लोडिग वाहन. (पिकअप / 407 वाहन / आयशर 4 पाहिया / एंव 6 पाहिया लोडिंग वाहन) की प्रति कि.लो.मीटर के मान से सील बन्द लिफाफे मे सेवाकर (Service Tax) प्रदाता संस्थाऐ / फर्मो से निविदाये दिनांक 07.01.2018 साय 04:00 बजे तक इस कार्यालय में दरे आमत्रित की जाती है।

उक्त निविदाऐ दिनाक 09.01.2018 को साय 02 बजे गठित समिति एव निविदा प्रदाताओ के समक्ष खोली जावेगी। निविदा के नियम, निहित शर्ते एंव निविदा प्रपत्र www.tikamgarh.nic.in से Downlode की जा सकती है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला टीकमगढ म.प्र.

पृ.क्रमाक / भण्डार / 2018 / टीकमगढ दिनांक ....

प्रतिलिपि :–

5. श्रीमान् कलेक्टर महोदया जिला टीकमगढ म0प्र0
6. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐ संभाग सागर म.प्र.
7. जिला मलेरिया अधिकारी जिला टीकमगढ म0प्र0
8. जिला अधिकारी (एन.आई.सी.) टीकमगढ की ओर लेख है कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को एन. आई.सी. की बेव साईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

Sd

मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी
जिला टीकमगढ म.प्र.

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ़ (म.प्र)

निविदाकार हेतु शर्ते

1. वाहन परिवहन कार्यालय में टेक्सी कोटे में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
2. फर्म/संस्था का दुकान स्थापना का पंजीयन अनिवार्य है।
3. फर्म/संस्था का सर्विस टेक्स का पंजीयन होना अनिवार्य है।
4. फर्म/संस्था का जी.एस.जी पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. फर्म/संस्था का विगत दो वर्षो का प्रत्येक एक वर्ष में 10 लाख का टन ओवर का होना अनिवार्य है।
6. वाहन का मॉडल वर्ष 2016 से पूर्व का न हो।
7. वाहन चालक का परिवहन विभाग के नियमानुसार वैध ड्रायविंग लाईसेंस होना अनिवार्य होगा।
8. वाहन के कर,बीमा,पार्किंग का प्रभार एंव मरम्मत आदि का संपूर्ण भार, वाहन स्वामी का होगा, परिवहन नियमों के विपरीत वाहन के संचालन या चालक की असावधानीवश वाहन के दुर्धटनाग्रस्त होने जैसी अन्य वैधानिक स्थितियों में किसी भी प्रकार के जुर्माना की राशि को भरने या कोई अन्य वैधानिक कार्यवाही होने के लिए वाहन स्वामी स्वंय उत्तरदायी होगा।
9. वाहन सबंधी शर्तो का पालन किया जाना आवश्यक होगा।
10. समस्त विवादो का न्याय क्षेत्र टीकमगढ़ ही होगा।
11. उक्त निविदा एक वर्ष अथवा आगामी निविदा जारी होन तक वैध रहेगी।
12. परिवहन के भुगतान पर नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी।
13. समय पर वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
14. वाहन का रात्रि विश्राम का चार्ज अलग से देय नही होगा।
15. वाहन का भुगतान प्रति कि.लो.मीटर/स्वीकृत दरो के मान से ही किया जावेगा।
16. उक्त निविदा में लोडिग वाहन जैसे (पिकअप/407 वाहन/आयशर 4 पाहिया/एंव 6 पाहिया लोडिंग वाहन) की ही दरे मान्य होगी।
17. लोडिंग वाहन की आवश्यकता पडने पर ही चयनित निविदाकार को प्रति कि.लो. मीटर के मान से परिवहन हेतु आदेश जारी किया जावेगा।
18. निविदाकार द्वारा सशर्त प्रस्तुत निविदा ग्राहय नही होगी।
19. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत/बिना कोई कारण बताये अमान्य करने का अधिकार मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी टीकमगढ़ को होगा।

घोषणा–पत्र

एतद् द्वारा मैं...(निविदाकार का नाम) पुत्र श्री .... आयु ....वर्ष ....पूरा पता .... .यह घोषणा करता हू कि मेरे द्वारा जिस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है उस कार्य से संबधित ऊपर वर्णित समस्त शर्ते ध्यान पूर्वक पढी गई है तथा उक्त सभी शर्ते मुझे स्वीकार है।

निविदाकार के हस्ताक्षर

Chief Medical & Health Officer
Distt.-Tikamgarh(M.P.)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ़ (म.प्र)

निविदा प्रपत्र

1. फर्म/संस्था का सर्विस टेक्स का पंजीयन — ....
2. फर्म/संस्था का दुकान स्थापना का पंजीयन । — ....
3. फर्म/संस्था का जी.एस.टी पंजीयन । — ....
4. पेन नं. — ....
5. फर्म/संस्था का विगत दो वर्षो का टर्न ओवर। — ....
6. वाहन का प्रकार — ....
7. टैक्सी परमिट हॉ/नही — ....

वाहन का नाम	दर प्रति कि.लो. मीटर (1 से 50 कि.लो.मीटर तक)	दर प्रति कि.लो. मीटर (51 से 100 कि.लो.मीटर तक)	दर प्रति कि.लो.मीटर (101 से अधिक कि.लो. मीटर तक)
पिकअप लोडिंग वाहन			
407 लोडिंग वाहन			
आयशर 04 पाहिया लोडिग वाहन			
ट्रक 06 पाहिया लोडिंग वाहन			

निविदाकार के हस्ताक्षर
सील
पूरा नाम
पता

Chief Medical & Health Officer
Distt.-Tikamgarh (M.P.)